न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री जोजो अब्राहम पुत्र अब्रहम, जाति- ईसाई, व्यवस्थापक, सेंटपॉल स्कूल, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 49/2020

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही)

-: निर्णय :- **दिनांक 20 अक्टूम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 62/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 बाबत ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही द्वितीय के खसरा नम्बर 3384 रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को संवत 2076 में विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का निर्णय पारित करने में कानूनन भूल की गई है। हल्का पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के साथ कोई नक्शा, मौका फर्द प्रस्तुत नही की है जिससे यह जाना जा सके कि कथित भूमि में मौके पर क्या स्थिति है व न ही प्रत्यर्थी ने विवादित खसरा भूमि के वर्तमान कब्जा धारक को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में पक्षकार बनाया है। उक्त अपील में व्यथित पक्षकार वर्तमान कब्जाधारक ही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में अब्राहम जोजो को पक्षकार बनाकर

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस प्रेषित किया जाना सरासर अवैधानिक है. उक्त व्यक्ति का विवादित खसरा भूमि से कोई लेना देना नही है, अपीलार्थी अब्राहम जांजा उक्त प्रकरण में इनोसेन्ट पर्सन है, जो जालोर में निवास कर रहा है। विवादित खसरा भूमि के पडौस में ही खातेदारी आबादी भूमि पर स्कूल बना हुआ है तथा इसी भूमि से लगती विवादित खसरा भूमि पर वर्षो पुराने हरे भरे वृक्ष खडे है तथा धार्मिक मन्दिर भी बना हुआ है जिसमें बच्चे स्कूल समय में प्रार्थना करते है तथा लोगों के आस्था का केन्द्र भी है जिससे उक्त भूमि नियमन/आवंटन योग्य है। यह कि विवादित खसरा भूमि के पडौस में ही अपीलार्थी के खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर स्कूल बना हुआ है एवं उक्त स्कूल प्रबन्धन द्वारा समय समय पर जन हित के कार्य किये जाते रहे है। कोविड-19 वैश्विक महामारी में भी उक्त स्कूल प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग किया गया व पूरी विद्यालय भवन को कोरोना मरीजों हेतु आईसोलेसन वार्ड बनाया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी स्वयं सेवी संस्था भी है, यदि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाती है तो अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा निर्णय आदेश दिनांक 11.10.2019 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विस्तृत जवाब में वर्णित आपत्तियों पर गौर किये बिना ही एवं अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को को बिना सुने ही मौका स्थिति के विपरीत केवल मात्र पटवारी हल्का, सिरोही द्वितीय की टेबलवर्क करके बनाई गई औपचारिक दस्तावेजी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है। यह कि तहसीलदार, सिरोही के समक्ष दिनांक 11.10.2019 को हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी की उक्त कब्जे शुदा भूमि खसरा संख्या 3384 रकबा 0.32 हेक्टेयर पर मौके पर गये बगैर ही मात्र टेबल वर्क कर कागजी खानापूर्ति की गई है जबकि मौके पर अपीलार्थी की उक्त भूमि पर गत करीब 30 वर्षो पुराना कब्जा चला आ रहा है जो अपीलार्थी संस्था द्वारा खसरा संख्या 2606/2, 2609/2, 2610, 2611, 2612, 2613 एवं 2616/2 की कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि पूर्व खातेदार ओटाराम से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के कीमतन क्रय की थी। उक्त भूमि क्रय करते वक्त मौके पर मोजूदा पूर्व खातेदार का जिस कदर कब्जा काश्त स्थित था उक्त भूमि का ऐवमेव/यथावत कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार, अपीलार्थी पिछले 30 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज है तथा अपीलार्थी संस्था द्वारा निर्बाध रुप से उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने ही निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया है कि पटवारी हल्का, सिरोही द्वितीय द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके पर गये बगैर ही तैयार प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिचार माना है एवं उक्त पटवारी रिपोर्ट में अपीलार्थी के अतिचार की वस्तुस्थिति व भूमि वर्गीकरण नाप वगैराह के संबंध में कोई उल्लेख नही किया है, जबकि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर पिछले करीब 30 वर्षो से लगातार निर्बाध पूर्ववर्ती कब्जा चला आ रहा है, तथापि रेकर्ड में मौके की स्थिति के विपरीत

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। यह कि उक्त राजस्व भूमि से लगती ही अन्य खसरा भूमि राजस्व रेकर्ड में स्थानीय निकाय नगर परिषद् के नाम दर्ज हो चुकी है एवं उक्त खसरा संख्या 3384 की भूमि भी नगरीय सीमा में आने से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियमन/आवंटन योग्य है। अपीलार्थी संस्था द्वारा भी पूर्व में कई मर्तबा उक्त भूमि के आवंटन हेतु अनुरोध किया गया, तथापि गलत तथ्यों के आधार पर विधि के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.10.2019 को पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारीत करने में इस बात पर बिल्कुल ही गौर नही किया कि जोजो अब्राहम व्यक्ति अपीलार्थी सेंटपोल स्कूल, सिरोही संस्था का वर्तमान पदाधिकारी नही है अपितु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सेंटपोल स्कूल सिरोही संस्था के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही के समय उक्त जोजो अब्राहम व्यक्ति जालोर शहर में पदस्थापित थे जिससे उनके विरुद्ध जारी उक्त कार्यवाही के नोटिस की तामिल गलत व अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से पूर्व अन्तिम बहस में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखन व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी तहसीलदार, सिरोही ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। प्रत्यर्थी तहसीलदार, सिरोही ने बहस के दौरान यह भी व्यक्ति किया कि अपीलार्थी संस्था ने पूर्व खातेदार से खरीद की गई कृषि भूमि का कब्जा बिना सीमाज्ञान करवाये ही लिया है। अपीलार्थी संस्था ने राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया है। यह कि उक्त भूमि क्रय करने के समय मौके पर कोई निर्माण नही था। श्री जोजो अब्राहम जो कि उस समय सेंटपॉल स्कूल, सिरोही के प्रिंसीपल व व्यवस्थापक थे उसी नाते अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी श्री जोजो अब्राहम को पक्षकार बनाकर विधिवत नोटिस तामिल करवाकर सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है। कानून की दृष्टि में व्यक्ति और संस्था एक समान होते है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही द्वितीय के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.32 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि पर कब्जा मय पक्का निर्माण कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर

....पेज चार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी स्वयं एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से नोटिस का लिखित प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा व निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

20/10/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested